N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0120 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/06/2024 18:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 21/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 09:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/06/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/06/2024 18:01:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 20 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Patwar Halka Kalinjar, Kumbhlgarh Distric Rajsamand

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Bheru Singh

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOHAN Singh

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Madrecho ka Gudha, Udaji ki Bhagal, Kumbhalgarh, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Madrecho ka Gudha, Udaji ki Bhagal, Kumbhalgarh, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Ashok Kumar		पिता:Sanwarmal	1. Village Paldee,Laxmanlgarh,SIKAR,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी श्री भेरू सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, उम्र-36 वर्ष, जाति-राजपुत, निवासी मादरेचो का गुडा, उदाजी की भागल तहसील कुम्भलगढ, पुलिस थाना केलवाडा, जिला राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होकर एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र मन् मन्शाराम पुलिस निरीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया की कि मेरे तथा मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह की मादरेचो का गुडा, उदाजी की भागल में मेरी सामलाती जमीन है जिसकी सीमाज्ञान के लिए मैनें तहसील कार्यालय कुम्भलगढ में दिनांक 03.06.2024 को ई-मित्र से मेरे आराजी नं. 292 एवं 298 तथा मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह के आराजी नं. 251, 252, 253, 260, 262, 263, 294, 297 एवं 300 के लिए आवेदन कर सीमाज्ञान शुल्क दिनांक 03.06.2024 को ही 100-100 रूपये जरिये चालान ई-मित्र पर जमा करवा दिया था। दिनांक 10.06.2024 को कार्यालय तहसील कुम्भलगढ से पटवारी हल्का कालिंजर के नाम सीमा जानकारी करने हेतु आदेश दिया गया था जिस पर मैं उक्त आदेश लेकर दिनांक 14.06.2024 को पटवारी साहब कालिंजर श्री अशोक कुमार से मिला था तथा तहसील कार्यालय से जारी शुदा आदेश श्री अशोक कुमार पटवारी साहब कालिंजर को दिया जिस पर पटवारी साहब ने मुझे कहा की अभी समय नही है, टाईम लगेगा। उसके पश्चात् दो दिन बाद वापस पटवारी साहब से मिला तो पटवारी साहब ने कहा की सीमाज्ञान ऐसे ही नही होता है, सीमाज्ञान कराने के लिए 500 रूपये प्रति खसरे के हिसाब से देने पडेंगे तो ही आपका काम होगा। मेरी एवं मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह की सामलाती जमीन का सीमाज्ञान करने की एवज में श्री अशोक कुमार पटवारी साहब कालिंजर मुझसे 500 रूपये प्रति खसरे के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। मैं श्री अशोक कुमार पटवारी साहब कालिंजर को रिश्वत नही देना चाहता हु और उन्हे रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरे व श्री अशोक कुमार पटवारी साहब कालिंजर के बीच कोई पुरानी लेनदेन बाकि नहीं हैं और ना ही कोई आपसी रंजिश हैं। मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह की सीमाज्ञान तथा कानूनी कार्यवाही में उनकी मौखिक सहमति है। सीमाज्ञान से संबंधित आवेदन पत्र एवं तहसील कार्यालय से जारी आदेश की छायां प्रतियां प्रस्तुत कर रहा हुं। मैं कम पढा लिखा हुं, केवल हस्ताक्षर करना जानता हुं, इसलिए टाईपशुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हुं। कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी श्री भैरू सिंह द्वारा पेश उपरोक्त रिपोर्ट पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मेरे तथा मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह की मादरेचो का गुडा, उदाजी की भागल में मेरी सामलाती जमीन है जिसकी सीमाज्ञान के लिए मैनें तहसील कार्यालय कुम्भलगढ में दिनांक 03.06.2024 को ई-मित्र से मेरे आराजी नं. 292 एवं 298 तथा मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह के आराजी नं. 251, 252, 253, 260, 262, 263, 294, 297 एवं 300 के लिए आवेदन कर सीमाज्ञान शुल्क दिनांक 03.06.2024 को ही 100-100 रूपये जरिये चालान ई-मित्र पर जमा करवा दिया था। मेरे द्वारा पटवारी साहब कालिंजर श्री अशोक कुमार से मिलने पर भी मेरा काम नहीं कर रहे हैं और मुझे बार-बार चक्कर कटा रहे हैं और मेरा काम भी नहीं कर रहे हैं। उपस्थित परिवादी श्री भैरू सिंह से उसके पार्टनर श्री मनोहर सिंह की सहमति के सम्बन्ध में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह जी आंज किसी आवशयक कार्य से कहीं बाहर गये हुए हैं जो आज मेरे साथ उपस्थित नहीं आये हैं। मैंने मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह को सीमाज्ञान करने की एवज में पटवारी कालिंजर श्री अशोक कुमार द्वारा 500 रूपये प्रति खसरे के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग करने के सम्बन्ध में कहा तो मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह ने मुझसे कहा कि पटवारी कालिंजर को रिश्वत राशि नहीं देंगे, आप एसीबी चौकी राजसमन्द जाकर पटवारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दे दो। मैने मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह से पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही आज आपके समक्ष रिपोर्ट पेश कर रहा हुं। परिवादी श्री भैरू सिंह से उसके पार्टनर श्री मनोहर सिंह को कार्यवाही के दौरान उपस्थित रखने के सम्बन्ध में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मै मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह को आगे की कार्यवाही के दौरान उपस्थित कर दूंगा। श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर एक भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो बिना रिश्वत राशि लिये मेरा काम नहीं करेगा। मैं अपने जायज कार्य के लिये श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन की कार्यवाही हेंतु श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री भैरू सिंह को डिजीटल

वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध कर्मचारी श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर से मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किये तथा आज ही मांग सत्यापन की वार्ता करवाने बाबत् परिवादी श्री भैरू सिंह से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैंने मेरे परिचित से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि पटवारी साहब आज 06.00 पी.एम. के बाद रिछेड स्थित अपने किराये के मकान में मिल जायेंगे और उनसे वार्ता भी हो जायेगी। जिस पर समय 05.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय के श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के सुपूर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता करवाने हेतु परिवादी श्री भैरू सिंह के साथ परिवादी की निजी कार से रिछेड की तरफ रवाना किया गया। जो समय 09.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये और श्री यश्वन्त सिंह वरिष्ठ सहायक ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर हालात निवेदन किये कि मैं, परिवादी के साथ ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर करीब 6.45 पी.एम. पर कस्बा रिछेड स्थित बस स्टेण्ड पर पहुंचे। जिसके कुछ देर बाद परिवादी श्री भैरू सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध पटवारी श्री अशोक कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से समय 06.54 पीएम पर कॉल आया जिस पर परिवादी के मोबाईल फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी व संदिग्ध पटवारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध पटवारी ने ओम शांति ज्वैलर्स/चामुण्डा ज्वैलर्स की तरफ आने के लिए कहा। इस पर समय 06.55 पी.एम. पर पुनः डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध पटवारी श्री अशोक कुमार से वार्ता करने हेतु परिवादी को उसकी निजी कार से ओम शांति ज्वैलर्स/चामुण्डा ज्वैलर्स की तरफ रवाना किया तथा मैं कस्बा रिछेड स्थित ओम शांति ज्वैलर्स/चामुण्डा ज्वैलर्स के आस-पास ही रूककर अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम हुआ। करीब 25-30 मिनट बाद परिवादी श्री भैरू सिंह मेरे पास आया और परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मैं व परिवादी उसकी निजी कार से कस्बा रिछेड से रवाना हो एसीबी कार्यालय राजसमन्द उपस्थित आये हैं। तत्पश्चात् परिवादी श्री भैरू सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक के कथनों की पुष्टि करते हुए बताया कि मैं, कस्बा रिछेड में ओम शांति ज्वैलर्स/चामुण्डा ज्वैलर्स के पास स्थित कॉम्पलेक्स परिसर में श्री अशोक कुमार पटवारी साहब से वार्ता की तो पटवारी साहब ने मेरे से मेरी कालींजर पंचायत में मादरेचो का गुढा में स्थित जमीन का सीमाज्ञान करने हेतु प्रति खसरा 500/- रूपये के हिसाब से 18 खसरो की सीमांकन करने की एवज में 8000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करते हुए 7000/- की कहने पर भी पटवारी साहब ने 8000/- रूपये ही लेना तय किया तथा उसी समय रिश्वत राशि 8000/- रूपये देने के लिए कहा। जिस पर मेरे द्वारा 8000/- रूपये की व्यवस्था नही होने की कहकर, स्वयं के विवेकानुसार 2000/- रूपये पटवारी साहब को उसी समय देते हुए 6000/- रूपये दिनांक 21.06.2024 को देने की कहा जिस पर पटवारी साहब ने अपनी सहमति प्रकट की।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकार्डर में हुई वार्तानुसार परिवादी श्री भैरू सिंह ने संदिग्ध पटवारी को 2,000 रूपये देने की एवं आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात परिवादी श्री भैरू सिंह को संदिग्ध श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर को रिश्वत में दी जाने वाली शैष राशि 6,000 रूपये की व्यवस्था कर अपने पार्टनर श्री मनोहर सिंह के साथ दिनांक 21.06.2024 को समय 07.30 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने हेतु निर्देषित किया जाकर मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर परिवादी को रूखसत किया गया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से सुरक्षित अवस्था में कार्यालय के मालखाना में रखवाया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 21.06.24 को समय 07.20 एएम पर परिवादी श्री भैरू सिंह एक अन्य व्यक्ति के साथ अपनी निजी कार से ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आये और अपने साथ आये व्यक्ति का परिचय देते हुए बताया कि यह मेरे पार्टनर श्री मनोहर सिंह हैं जिनकी सहमति से ही मैने श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी थी। इस पर उपस्थित श्री मनोहर सिह से उनका पूरा नाम-पता पूछा तो श्री मनोहरंसिह पुत्र श्री अनार सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 साल, निवासी गांव सेमा, तहसील खमनोर, पुलिस थाना खमनोर, जिला राजसमन्द होना बताया तथा परिवादी के पार्टनर श्री मनोहर सिंह को परिवादी श्री भैरू सिंह द्वारा दिनांक 19.06.2024 को ब्यूरो चौकी राजसमन्द पर दी गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछा गया तो श्री मनोहर सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 19.06.2024 को मैं किसी आवश्यक कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था इसलिए मैं मेरे पार्टनर के साथ ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित नहीं हो सका। मेरे पार्टनर श्री भैरू सिंह ने मुझे सीमाज्ञान करने की एवज में पटवारी कालिंजर श्री अशोक कुमार द्वारा 500 रूपये प्रति खसरे के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग करने के सम्बन्ध में बताया था तो मैने मेरे पार्टनर श्री भैरू सिंह को पटवारी कालिंजर को रिश्वत राशि नहीं देने व एसीबी चौकी राजसमन्द जाकर पटवारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट देने की कहा था। मेरे पार्टनर श्री भैरू सिंह ने मेरी सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही दिनांक 19.06.2024 को ब्यूरो चौकी राजसमन्द पर रिपोर्ट दी थी जिसकी मुझे पूर्ण जानकारी हैं। इसके पष्चात परिवादी श्री भैरू सिंह के पार्टनर श्री मनोहर सिंह को परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट पढकर सुनाई गई तथा उक्त रिपोर्ट पर श्री मनोहर सिंह के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी के पार्टनर श्री मनोहर सिंह को अग्रिम

ट्रेप कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु कहा गया तो श्री मनोहर सिंह ने बताया कि मुझे अति आवश्यक कार्य से कहीं बाहर जाना हैं इसलिए मैं अग्रिम कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सकता हुं। मेरी पूर्ण सहमति के साथ मेरे पार्टनर श्री भैरू सिंह अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आपके साथ उपस्थित रहेंगे। इस पर परिवादी के पार्टनर श्री मनोहर सिंह को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैने संदिग्ध श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर को दी जाने वाली रिश्वत राशि 6,000 रूपये की व्यवस्था कर ली हैं जो अभी मेरे पास हैं। ततपश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजसमन्द कार्यालय से पाबन्द शुदा दो गवाहान श्री अजय कुमार यादव वरिष्ठ सहायक एवं श्री नवीन कुमार कनिष्ठ सहायक, उप0 कार्यालय आये। दोनों गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने गोपनीय कार्यवाही बाबत् आवष्यक जानकारी दी और मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में पूर्व में उपस्थित शुदा परिवादी श्री भैरू सिंह एवं दोनों गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 19.06.2024 को प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात ब्यूरो कार्यालय के कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर दिनांक 19.06.2024 को रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु करवाकर उक्त वार्ता दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय करीब 08.00 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान श्री अजय कुमार व श्री नवीन कुमार के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी भेरू सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री भेरू सिंह ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000/-रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्रीमती तारा महिला कानि0 नं. 259 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर अखबार पर परिवादी श्री भैरू सिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देषित करने पर श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 द्वारा उक्त समस्त नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी श्री भैरू सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नवीन कुमार कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे समस्त नोटों को परिवादी श्री भैरू सिंह के शरीर पर पहने हुए पेंट की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री भैरू सिंह को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी श्री भैरू सिंह तथा स्वतंत्र गवाहान श्री अजय कुमार यादव वरिष्ठ सहायक एवं श्री नवीन कुमार कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। परिवादी को हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर निर्धारित ईषारा करे तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी श्री भैरू सिंह को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुनः समझाईस कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी श्री भैरू सिंह को सिपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें तथा फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई जाकर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द में ही रूकने हेतु निर्देषित किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री भैरू सिंह ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं अपने मोबाईल फोन से संदिग्ध श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर को कॉल कर उसकी लोकेश्न के बारे में पता करता हुं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करा समय 08.35 ए0एम0 पर परिवादी श्री भैरू सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करा फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर संदिग्ध श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर से

वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर ने कहां कि मुझे पटवार मण्डल पहुंचे एक घण्टा हो गया हैं। जिस पर समय 08.45 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मंशाराम द्वारा ब्यूरो जाब्ता कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 को परिवादी के साथ उसकी निजी कार से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा कालिंजर स्थित पटवार मण्डल से थोडा पहले रूकने की आवश्यक हिदायत देकर रवाना करते हुए, मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता हैड कानि. श्रीमती सीता नम्बर 233, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अजय कुमार व श्री नवीन कुमार, श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 के कस्बा कालिंजर की तरफ रवाना शुदा समय 09.22 ए.एम पर कस्बा कालिंजर स्थित पटवार मण्डल से थोडा पहले पहुंचकर अपने-अपने वाहनों को रोड के किनारे साईड में खडा कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करा परिवादी श्री भैरू सिंह को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री अशोक कुमार पटवारी कालिंजर से रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में अग्रिम वार्ता करने हेतु मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के पटवार मण्डल कालिंजर की तरफ रवाना करते हुए हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण पटवार मण्डल कालिंजर से कुछ ही दूरी पर वाहनों की ओट में अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे व अग्रिम निर्देष के इन्तजार में मुकिम हुए। समय 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री भेरू सिंह द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान को आरोपी श्री अशोक कुमार द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अजय कुमार व श्री नवीन कुमार एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414, श्री यषवंत सिंह वरिष्ठ सहायक के तेज-तेज कदमों से चलकर पटवार हल्का कालिंजर के बाहर पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री भैरू सिंह उपस्थित मिला। जिसने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि अशोक कुमार पटवारी साहब पटवार कार्यालय से बाहर आकर मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण कर कार्यालय में जाकर बैठे है तथा अपने पास रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपूर्द किया। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख कर पटवार हल्का कार्यालय में प्रवेश किया तो पटवार हल्का में दो व्यक्ति बैठे हुए थे, परिवादी ने सामने बैठे आसमानी रंग का चैक्स वाला शर्ट व ग्रे रंग की पेन्ट पहने हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि यही अशोक कुमार पटवारी साहब है, जिसने मुझसे अभी-अभी अपने पटवार हल्का कार्यालय से बाहर आकर 6000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी पेन्ट बरंग ग्रे के पिछे की दाहिनी जेब में रखे है जिस पर आरोपी का एक हाथ श्री यशवंत सिंह व. सहायक एवं दूसरा हाथ श्री जितेन्द्र कानि0 नं0 262 ने कलाई से उपर पकडा। मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का तथा हमराहियान ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री अशोक कुमार पटवारी (रिसौर्स पर्सन) तहसील कार्यालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का-कालिंजर, बड़गाव, ओलादर, कोयल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द होना बताया तथा पटवारी के सामने बैठे व्यक्ति से परिचय पुछा तो उसने अपना नाम गोविन्द सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक गजपुर तहसील कार्यालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द होना बताया। आरोपी श्री अशोक कुमार से मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भेरू सिंह से 6000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो घबराते हुए कहा कि मैंने भेरू सिंह से रिश्वत राशि नहीं मांगी, उसने स्वयं ही मुझे रिश्वत राशि दी है, साहब मुझसे गलती हो गई है, मूझे माफ कर दो। जिस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि पटवारी साहब झुठ बोल रहे है पटवारी साब ने मुझसे 1 खसरा के 500 रूपये के हिसाब से 18 खसरा के 9000 रूपये मांगे थे जो मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 8,000 रूपये की मांग की थी तथा मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.06.2024 को मेरे से 2000 रूपये प्राप्त किये ओर मांग अनुसार दिनांक 21.06.2024 को शेष 6000 रूपये प्राप्त किए। श्री गोविन्द सिंह भु-अभिलेख निरीक्षक से आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी द्वारा श्री भेरू सिंह से रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में पुछा तो श्री गोविन्द सिंह भु-अभिलेख निरीक्षक ने बताया कि आपकी टीम के आने से पहले पटवारी श्री अशोक कुमार पटवार कार्यालय से बाहर निकला था, जो कुछ देर बाद वापिस आकर अपनी सीट पर बैठ गया, मैं पटवार कार्यालय के अन्दर ही बैठा था, पटवारी श्री अशोक कुमार ने बाहर जाकर क्या किया इसकी जानकारी मुझे नही है। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता होना पाया गया। इसके उपरांत दिनांक 19.06.2024 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही चालू कर आरोपी श्री अशोक कुमार को सुनाई गई तथा उक्त मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी श्री भेरू सिंह से 2000 रूपये ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री अशोक कुमार ने अपना सिर झुका लिया ओर कहा कि 2000 रूपये खर्च हो गये। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक कुमार के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री भंवरदान कानि. नं. 414 से गाडी में रखे ट्रेप बॉक्स मंगवा कर श्री भंवरदान कानि. से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में उक्त पटवार हल्का में रखी हुयी पानी की बोटल से अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने

हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री अशोक कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नवीन कुमार से लिवाई गई तो श्री अशोक कुमार की पहनी हुई ग्रे रंग की पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब से कुछ रूपये मिले। जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500-500 के 12 नोट कुल राशि 6,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाया गया। उक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात श्री गोविन्द सिंह भू अभिलेख निरीक्षक से परिवादी श्री भेरू सिंह एवं उसके पार्टनर श्री मनोहर सिंह की मादरेचो का गुडा, उदाजी की भागल की जमीन की सीमा ज्ञान हेतु तहसील कार्यालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द द्वारा जारी आदेश की फोटो प्रतियां प्रमाणित शुदा प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक कुमार की पहनी हुई पेन्ट बरंग ग्रे के पिछे की दाहिनी जेब से 6,000 रूपये बरामद होने से पहनी हुई उक्त पेन्ट को ससम्मान खुलवाकर दूसरी पेन्ट पहनायी जाकर उक्त पेन्ट बरंग ग्रे के पिछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर धुलवाने हेतु कानि0 भंवरदान नं0 414 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच का गिलास निकलवा कर उसे साफ पानी से धुलवा कर उसमें पुनः साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर में डलवाया जाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त गिलास में रखे रंगहीन घोल में उक्त पेन्ट बरंग ग्रे के पिछे की दाहिनी जेब उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब का धौवण गुलाबी हो गया। जिस घोल को दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरवाकर सीलचिट कर धौवण की शिशियों को मार्क क्रमश P-1 व P-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब को धोकर, सुखा कर, उक्त जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा, उक्त पेंट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मौके पर मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये एवं फर्द खाना तलाशी आरोपी श्री अशोक कुमार के रिहायशी कस्बा रिछेड़ में कॉम्पलेक्स में स्थित किराये के मकान की नियमानुसार ली जाकर फर्द मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। श्री अशोक कुमार पटवारी (रिसौर्स पर्सन) तहसील कार्यालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द हाल अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का-कालिंजर, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी, फर्द रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं मोबाईल वार्ता, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन एवं मोबाईल वार्ता, फर्द मोबाईल जप्ती, फर्द मेमोरी कार्ड एवं फर्द जप्ती मूल पेन ड्राईव, फर्द नष्टीकरण अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियां से पाया गया कि आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी (रिसौर्स पर्सन) तहसील कार्यालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द हाल अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का- कालिंजर, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी तथा परिवादी के पार्टनर श्री मनोहर सिंह की मादरेचो का गुडा, उदाजी की भागल में सामलाती जमीन है जिसकी सीमाज्ञान के लिए दिनांक 10.06.2024 को कार्यालय तहसील कुम्भलगढ से पटवारी हल्का कालिंजर के नाम सीमा जानकारी करने हेतु आदेश दिया गया था। उक्त सीमा ज्ञान करने की एवज में आरोपी द्वारा परिवादी श्री भैरू सिंह से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 8,000/- रूपये की मांग कर परिवादी से 2000/- रूपये ग्रहण करना, तथा मांग अनुसार कुल रिश्वत राशि 8,000/- रूपये में से 2000/- कम करने के पश्चात शेष रिश्वत राशि 6,000 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत होना एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 21.06.2024 को शेष रिश्वत राशि 6,000/- रूपये वक्त लेन-देन आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी द्वारा परिवादी श्री भेरू सिंह से प्राप्त कर उक्त रिश्वत राशि 6,000/- रूपये अपने हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखना, आरोपी की पहनी हुई उक्त पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि 6,000/- रूपये बरामद होना तथा आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना व आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब को उलटवाने के पश्चात प्राप्त किये गये धोवण का रंग गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सांवरमल जाति जाट उम्र 27 वर्ष निवासी गांव पालडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल पटवारी (रिसौर्स पर्सन) तहसील कार्यालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का-कालिंजर, बड़गाव, ओलादर, कोयल जिला राजसमन्द के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (मंशाराम) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि

उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मंशाराम,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) में आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सांवरमल, निवासी गांव पालडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल पटवारी (रिसौर्स पर्सन) तहसील कार्यालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का-कालिंजर, बड़गाव, ओलादर, कोयल जिला राजसमन्द के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (ईन्टे.) उदयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 347 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 613-16 दिनांक 22.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 जिला कलक्टर, राजसमन्द। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/06/2024 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/04/1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)